Neutral Citation No.– 2026:AHC–LKO:19969

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या– 83/2005

मिही लाल एवं 3 अन्य ... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – विजय प्रताप, रमा कान्त जायसवाल

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :– शासकीय अधिवक्ता

निर्णय सुरक्षित: दिनांक 23.02.2026

निर्णय घोषित: दिनांक 19.03.2026

न्यायालय संख्या – 28

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

2. यह अपील थाना– सिधौली, जिला– सीतापुर में धारा 307/304 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 96/96, अंतर्गत से उद्भूत सत्र परीक्षण संख्या 865/97 (राज्य बनाम मिही लाल व अन्य) में अपर सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.01.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने प्रत्येक अपीलार्थी को धारा 304/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया था तथा उन्हें दस वर्ष के साधारण कारावास और प्रत्येक को रु. 2000/– जुर्माने से दंडित किया गया और जुर्माना न भरने की स्थिति में छह महीने के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

3. अभियोजन पक्ष का वाद सक्षेप में यह है कि दिनांक 21 मई, 1996 को शाम 7:00 बजे, शिकायतकर्ता का पड़ोसी, मिही लाल (पुत्र परभू) अपनी नाली में एक पाइप बिछा रहा था जो शिकायतकर्ता के घर की ओर बढ़ रही थी। जब शिकायतकर्ता ने विरोध किया, तो झकरा मजरा किरतपुर निवासी मिही लाल (पुत्र परभू), भागीरथ

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

(पुत्र दुन्ना), और रमेश (पुत्र बदलू) ने शिकायतकर्ता और उसके पिता हरि प्रसाद के साथ लात, घूंसों और डंडों का प्रयोग करते हुए मारपीट की। शिकायतकर्ता रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 22 मई, 1996 को सिधौली थाने गया। उसकी अनुपस्थिति में मिही लाल, भागीरथ, रमेश और विद्या सागर ने पुनः शिकायतकर्ता के पिता के साथ मारपीट की। डर के कारण पिता घर से भाग गए। जब शिकायतकर्ता सिधौली से घर लौटा, तो गांव के निवासियों शिवराम (पुत्र गंगा) और बाबू (पुत्र छैल बिहारी), जिन्होंने हाथापाई किये जाने पर हस्तक्षेप किया था, ने उसे घटनाओं की जानकारी दी। शिकायतकर्ता ने अपने पिता की तलाश की और उन्हें मानवा गाँव के पास पाया, तत्पश्चात उन्हें घर ले आया। रात में परिवहन के अभाव के कारण, वह थाने नहीं जा सका। दिनांक 23 मई, 1996 को, जब शिकायतकर्ता रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अपने पिता को हाथगाड़ी (ठेलिया) पर स्टेशन ले जा रहा था, तब रास्ते में ही उसके पिता का निधन हो गया।

4. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 23 मई, 1996 को शाम 6:30 बजे पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर थाना सिधौली के तत्कालीन कांस्टेबल क्लर्क ने रोजनामचा आम में प्रविष्टियां की। मृतक के शव का पंचनामा किया गया। पंचनामा रिपोर्ट तैयार की गई और मृतक के शव को पुलिस कागजात के साथ शवपरीक्षण के लिए भेजा गया।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया और नक्शा नजरी तैयार किया, गवाहों के बयान दर्ज किए और साक्ष्य एकत्रित करने के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 304 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

6. मामला आत्यंतिक रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण, विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया, जहां से इसे विधि के अनुरूप विचारण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश, सीतापुर को भेज दिया गया।

7. विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304/34 और 307/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किए और उन्हें अभियुक्तगण को समझाया, जिन्होंने आरोपों से इनकार किया और विचारण का अनुरोध किया।

8. अपने मुक़दमे को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी–1–जगमोहन, अभियोजन

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

साक्षी–2–शिवराम, अभियोजन साक्षी–3–रामकुमार उर्फ बाबू, अभियोजन साक्षी–4–डॉ. जी.एल. दीक्षित, अभियोजन साक्षी–5–कांस्टेबल शुभकरण गौतम, अभियोजन साक्षी–6– बाबू लाल यादव, अभियोजन साक्षी–7– राम बहादुर पांडेय- (फार्मासिस्ट), और अभियोजन साक्षी–8– कांस्टेबल रामाधार पाठक के मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

9. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी सिद्ध किए: तहरीर (प्रदर्श क–1), पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2, औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट) (प्रदर्श क–3), नक्शा नजरी (प्रदर्श क–12), पंचनामा रिपोर्ट (प्रदर्श क–6) और आरोप पत्र (प्रदर्श क–13), चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क–14)

10. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने के बाद, अभियुक्तगण के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए। उन्होंने साक्षियों के साक्ष्य के दौरान प्रकट हुए सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों से इनकार किया।

11. बचाव के चरण में, अभियुक्तों द्वारा न तो कोई मौखिक और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

12. दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 307/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत वाद सिद्ध करने में सक्षम नहीं था और परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को धारा 307/34 भा.दं.सं. के अपराध से दोषमुक्त कर दिया, लेकिन साथ ही विद्वान विचारण न्यायालय ने यह पाया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 304/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप सिद्ध करने में सफल रहा है और इस प्रकार धारा 304/34 भा.दं.सं. के अपराध हेतु सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए उनमें से प्रत्येक को दस वर्ष के साधारण कारावास के साथ रुपये 2000/– जुर्माने से दंडित किया और जुर्माना न अदा करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भी प्रदान किया।

<u>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क</u>

13. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने तथ्यों और साक्ष्यों के प्रतिकूल आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि प्रारंभ में मामला भा.दं.सं. की धारा 323, 504 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध के रूप में दर्ज किया गया था और बाद में अगले दिन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

14. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि शिकायतकर्ता के अनुसार कथित घटना दो चरणों में हुई है। कथित घटना के प्रथम चरण में तीन अभियुक्तों द्वारा शिकायतकर्ता और उसके पिता पर लात और घूंसों से प्रहार करने का आरोप लगाया गया था, जबकि घटना के दूसरे चरण में, जो दिनांक 22.05.1996 को घटित हुयी बताई गई है, चार अभियुक्तों द्वारा मृतक पर लाठी, लात और घूंसों से प्रहार करने का आरोप लगाया गया था।

15. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार दो स्वतंत्र व्यक्तियों ने मृतक के साथ हुई घटना को देखा था लेकिन उन्होंने न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन नहीं किया। उसने यह तर्क भी दिया कि शिकायतकर्ता घटना के कथित दूसरे चरण का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि शिकायतकर्ता के अनुसार मृतक अपने घर से भाग गया था, लेकिन वास्तव में यदि उसे गंभीर चोटें आई होतीं, तो वह हिल भी नहीं पाता। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि मृतक के साथ घटना किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घटित की गई थी और शत्रुता के कारण अपीलार्थियों को इस झूठे मामले में फंसाया गया था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किए बिना अत्यंत सतही और यांत्रिक तरीके से आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित कर दिया। इंजरी रिपोर्ट के अनुसार सभी चोटें साधारण प्रकृति की पाई गई हैं। शिकायतकर्ता ने कथित घटना को नहीं देखा था कि मृतक पर किसने हमला किया, इन तथ्यों और साक्ष्यों के अभाव के बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित किया और इस संबंध में दिया गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण और विकृत है, इसलिए, आक्षेपित निर्णय और आदेश रद्द किए जाने योग्य है और अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

16. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी–अभियुक्तों ने दिनांक 21.05.1996 को शिकायतकर्ता और उसके मृत पिता पर प्रहार किया था और जब शिकायतकर्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने गया था तब अभियुक्तों ने पुनः शिकायतकर्ता के मृत पिता पर प्रहार किया और परिणामस्वरूप मृतक को गंभीर चोटें आईं और अंततः मृत्युपूर्व चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि यद्यपि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं, लेकिन मात्र इस आधार पर अभियोजन की पूरी कहानी को खारिज नहीं किया जा सकता है जब शिकायतकर्ता, जो एक घायल साक्षी है और उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित थी, तब उसके साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि शिकायतकर्ता का साक्ष्य

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

पूरी तरह से विश्वसनीय है, इसलिए पुष्टि के लिए किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। इंजरी रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ घायल साक्षी के साक्ष्य ने यह स्थापित किया है कि अपीलार्थी–अभियुक्त ही वास्तविक अपराधी है जिसने शिकायतकर्ता के साथ–साथ मृतक पर हमला किया था और उसी के कारण मृतक की मृत्यु हुई। विचारण न्यायालय ने तथ्यों, साक्ष्यों और परिस्थितियों पर उनकी समग्रता में विचार करने के बाद निष्कर्ष दिया है। आक्षेपित निर्णय और आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है और यह अपील योग्यताविहीन है और खारिज किए जाने योग्य है।

17. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आधार पर इस अपील के निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिंदु तैयार किए गए हैं;

क्या विचारण न्यायालय अपीलार्थी द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराना और दण्डित करना उचित है?

इस बिंदु को स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष का परीक्षण करना होगा।

18. अभिलेख के परिशीलन से यह पता चलता है कि कथित घटना दो चरणों में हुई थी। घटना का प्रथम चरण दिनांक 21.05.1996 को सायं 7.00 बजे हुआ था और उस घटना के बाद दिनांक 22.05.1996 को रात 11.00 बजे असंज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सूचनाकर्ता द्वारा प्रदान मौखिक सूचना पर, जहाँ शिकायतकर्ता–जगमोहन द्वारा कहा गया है कि अभियुक्त मिही लाल, रमेश और भागीरथ शिकायतकर्ता के घर के पास नाबदान बना रहे थे और जब शिकायतकर्ता ने उनका विरोध किया, तो उन्होंने लात–घूंसों से प्रहार किया और गाली–गलौज भी की। उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना में उनके पिता को भी चोटें आईं। इस घटना के बाद शिकायतकर्ता के कथनानुसार एक अन्य कथित घटना हुई थी।

19. घटना के द्वितीय चरण में, शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि दिनांक 21.05.1996 को घटित घटना के संबंध में जब वह दिनांक 22.05.1996 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने गया था, तब उसी बीच अभियुक्त मिही लाल, भागीरथ, रमेश और विद्या सागर ने उसके पिता पर लात–घूंसों से हमला किया और उनसे भयभीत हो कर उसके पिता अपना घर छोड़कर चले गए। उसने यह भी बताया कि जब वह अपने घर वापस लौटा तो ग्रामीण शिवराम और बाबू उससे मिले और बताया कि उसके पिता को अभियुक्तों द्वारा पीटा गया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

था और उन्होंने उन्हें बचाने का प्रयास किया था। उसने यह भी कहा कि उसने अपने पिता का पता लगाया और उन्हें मानवा गाँव के पास पाया और उन्हें वापस अपने घर ले आया और अगले दिन जब वह अपने पिता को हाथगाड़ी पर ले जा रहा था, तब रास्ते में उसके पिता की मृत्यु हो गई।

20. कथित घटना के संबंध में शिकायतकर्ता ने थाना सिधौली, जिला सीतापुर के पुलिस निरीक्षक के समक्ष तहरीर प्रस्तुत की, जिसके आधार पर दिनांक 23.05.1996 को शाम 6.30 बजे अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 304 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

21. अब यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 304/34 और 307/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किए थे। धारा 307/34 भा.दं.सं. के अपराध के संबंध में विचारण न्यायालय ने यह पाया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से, धारा 307/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत वाद स्थापित नहीं होता है। वह आरोप इस तथ्य पर तय किया गया था कि अपीलार्थी–अभियुक्त ने शिकायतकर्ता जगमोहन को चोटें कारित की थीं, जिसे सिद्ध नहीं किया जा सका, इसलिए, घटना का प्रथम चरण, जो कथित तौर पर दिनांक 21.05.1996 को घटित हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता को अपीलार्थियों द्वारा प्रहार, लात और घूंसों से घायल होने की बात कही गई थी, वह निरर्थक हो गया है।

22. अब मैं कथित घटना के द्वितीय चरण पर विचार करूंगा, जिसके संबंध में यह आरोप लगाया गया है कि जब शिकायतकर्ता प्रथम चरण की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में पुलिस थाने गया था।, तब अपीलार्थी–अभियुक्तों ने मृतक पर प्रहार किए।

23. यहाँ यह उल्लेख किया जाना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जब मृतक अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रहार किए जाने के बाद घायल हो गया, तब वह अपने घर से भाग गया और जब शिकायतकर्ता वापस लौटा और उसे खोजा तो उसने उसे मनवा गाँव के पास पाया और वह अपने पिता को अपने घर ले आया, यह दर्शाता है कि यदि चोट वास्तव में इतनी गंभीर थी तो वह अपने घर से कैसे भाग सकता था।

24. अब मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर चर्चा की जानी है। डॉक्टर जी.एल. दीक्षित अभियोजन साक्षी–4 के साक्ष्य के अनुसार, जिन्होंने दिनांक 24.05.1996 को मृतक का पोस्टमॉर्टम किया था, जब वह जिला अस्पताल, सीतापुर में तैनात थे, तब मृतक हरि प्रसाद का शव थाना सिधौली के पुलिस कांस्टेबल शैलेंद्र द्वारा लाया गया था

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और उसके द्वारा पहचान किये जाने के वाद उन्होंने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम किया था। उन्होंने पाया कि मृतक का शरीर औसत कद–काठी का था और आयु लगभग 65 वर्ष थी। मृत्यु की अवधि लगभग डेढ़ दिन थी। मृत्यु पश्चात शव की अकड़न समाप्त हो चुकी थी। पीठ पर स्टैनिंग मौजूद थी। शरीर पर खरोंचें मौजूद थीं और त्वचा छिल गई थी।

25. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्श–2) के अनुसार, **मृतक हरि प्रसाद के शरीर पर** निम्नलिखित मृत्युपूर्व चोटें पाई गईं:

- फटा हुआ घाव 4 सेमी x 2 सेमी x हड्डी तक गहरा, सिर के पीछे, दाहिने कान से 11 सेमी ऊपर।
- पीठ पर एक–दूसरे के ऊपर चढ़े हुए कई नीले निशान 43 सेमी x 32 सेमी। विच्छेदन करने पर, चोटों के नीचे मांसपेशियों की परतों में रक्त के थक्के पाए गए। बाईं ओर की 9वीं, 10वीं और 11वीं पसलियां टूटी हुई थीं।
- नीलगू निशान 8 सेमी x 4 सेमी, दाहिनी जांघ की सामने की सतह पर, घुटने से 7 सेमी ऊपर स्थित।
- नीलगू निशान: 3 सेमी x 2 सेमी दाहिने घुटने की सामने की सतह पर।
- नीलगू निशान: 4 सेमी x 3 सेमी बाएं घुटने की सामने की सतह पर।

आंतरिक परीक्षण:

फुफ्फुस फटा हुआ पाया गया। बायां फेफड़ा फटा हुआ पाया गया। हृदय के कक्ष खाली पाए गए। शरीर की लंबाई 160 सेमी थी। छाती की गुहा में लगभग आधा लीटर रक्त के थक्के मौजूद थे। ऊपरी जबड़े में 14 दांत और निचले जबड़े में 13 दांत थे। पेट खाली था। छोटी और बड़ी आंतों में अधपचा भोजन उपलब्ध था। लीवर, प्लीहा और गुर्दे पीले मूत्राशय खाली था।

अपनी राय में, डॉक्टर ने कहा कि मृतक की मृत्यु मृत्युपूर्व चोटों के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और आघात के कारण हुई थी।

अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा है कि सभी मृत्युपूर्व चोटें डंडे या लाठी से लगने की संभावना थी, और इन चोटों के लात और घूंसों से लगने की संभावना कम थी। उन्होंने यह भी राय दी कि यदि किसी व्यक्ति को लात और घूंसे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

मारे जाएं और वह पीछे की ओर गिर जाए, तो सिर पर चोट संभव हो सकती है।

यह निर्विवाद है कि मृत्युपूर्व चोट के कारण घायल की मृत्यु हुई थी। मुख्य प्रश्न यह है कि मृतक को चोट किसने पहुंचाई थी।

26. **शिकायतकर्ता–जगमोहन अभियोजन साक्षी–1** के साक्ष्य के अनुसार, कथित घटना के प्रथम दिन अभियुक्तों ने उस पर और उसके मृत पिता पर प्रहार किए थे और अगले दिन जब वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने गया था, तब उसी बीच अभियुक्तों ने फिर से उसके मृत पिता पर प्रहार किए और उनसे भयभीत हो कर उसके पिता घर से भाग गए और जब शिकायतकर्ता पुलिस थाने से अपने घर लौटा, तब ग्रामीण शिवराम और बाबू ने यह कहानी सुनाई थी कि उसके पिता को अपीलार्थी–अभियुक्तों द्वारा पीटा गया था, इससे पता चलता है कि शिकायतकर्ता घटना के द्वितीय चरण में मौजूद नहीं था और वह द्वितीय घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उसने साक्षी शिवराम और बाबू द्वारा कथित तथ्यों के आधार पर अपना बयान दिया है, इसलिए शिवराम और बाबू का बयान अधिक महत्वपूर्ण है, जिन्हें कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कहा गया है।

27. यहाँ, यह उल्लेख करना समीचीन है कि दोनों व्यक्तियों शिवराम और बाबू का अभियोजन पक्ष द्वारा क्रमशः अभियोजन साक्षी–2 और अभियोजन साक्षी–3 के रूप में परीक्षण किया गया है, लेकिन प्रारंभ से ही, उन्होंने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और वे पक्षद्रोही हो गए और अभियोजन द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने विवेचक के समक्ष बयान नहीं दिया था, जिसका अर्थ है कि घटना के द्वितीय चरण के संबंध में अभियोजन पक्ष का कथन, जो दो अभियोजन साक्षियों– शिवराम और बाबू के साक्ष्य पर आधारित है, संदेह से घिरा है।

28. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई साक्षी अपने पहले के बयान को दोहराता है या सुनाता है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसके पूरे साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस बिंदु पर विधि सुस्थापित है कि यदि किसी साक्षी के साक्ष्य का कोई भाग उस पक्ष के कथन का समर्थन करता है जिसने उसे प्रस्तुत किया है, तो उस सीमा तक साक्ष्य पर विचार किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में दोनों अभियोजन साक्षियों शिवराम और बाबू ने अभियोजन के संस्करण का समर्थन नहीं किया, इसलिए उनके साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह अभियोजन को किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करता है।

29. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि साक्षी पूर्ण रूप से विश्वसनीय है तो उसके साक्ष्य के लिए किसी पुष्टि की

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ उसका साक्ष्य आंशिक रूप से विश्वसनीय है, वहाँ मात्र उसके साक्ष्य की पुष्टि की आवश्यकता होती है जैसा कि **वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य, 1957 एससीसी ऑनलाइन एससी** के प्रसिद्ध वाद में परिकल्पित विधि है, जिसमें न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:–

"11. ... अतः, हमारी राय में, यह कानून का एक ठोस और सुस्थापित नियम है कि न्यायालय का संबंध साक्ष्य की गुणवत्ता से है, न कि किसी तथ्य को सिद्ध करने या गलत सिद्ध करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की मात्रा से। सामान्यतया, मौखिक [साक्ष्य को इस संदर्भ में तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्:

(1) पूरी तरह विश्वसनीय।

(2) पूरी तरह अविश्वसनीय।

(3) न तो पूरी तरह विश्वसनीय और न ही पूरी तरह अविश्वसनीय।

12. प्रमाण की पहली श्रेणी में, न्यायालय को किसी भी रूप में अपने निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए—वह एक ही साक्षी की गवाही पर दोषसिद्ध कर सकता है या दोषमुक्त कर सकता है, यदि वह साक्षी दोषरहित या स्वार्थपरता, अक्षमता या प्रलोभन के संदेह से दूर पाया जाता है। द्वितीय श्रेणी में, न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुँचने में सामान्य रूप से कोई कठिनाई नहीं होती है। यह मामलों की तृतीय श्रेणी है, जिसमें न्यायालय को सतर्क रहना पड़ता है और विश्वसनीय साक्ष्य, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा महत्वपूर्ण विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी पड़ती है।"

30. उपरोक्त स्थापित विधि के आलोक में, शिकायतकर्ता के साक्ष्य के परिशीलन पर, यदि इसे पूरी तरह विश्वसनीय की श्रेणी में पाया जाता है, तब ही अभियुक्तों पर लगाए गए आरोप सिद्ध होंगे क्योंकि अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

31. चूंकि मामला पूर्ण रूप से शिकायतकर्ता के साक्ष्य पर टिका है, इसलिए उसके साक्ष्य की बहुत सावधानी से जांच की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता **जगमोहन** –अभियोजन साक्षी–1 की मुख्य परीक्षा के अनुसार, उसने यह तही स्वीकार किया कि जब वह घटना के प्रथम चरण के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने गया था तब इसी बीच उसके पिता को अभियुक्तों द्वारा पीटा गया था, जिसका अर्थ है कि वह घटना के द्वितीय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

चरण में मौजूद नहीं था। इस संबंध में इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया है कि जब उसके पिता को अभियुक्तों द्वारा पीटा गया था, तब वह मौजूद नहीं था और उसने घटना नहीं देखी थी और यह घटना उसे ग्रामीण मोहन लाल ने बताई थी जिसकी इस वाद में परीक्षा नहीं की गई है। उसने पुनः साक्ष्य प्रस्तुत किया कि उसी आधार पर उसकी तहरीर किसी अधिवक्ता द्वारा तैयार की गई थी और उसके बाद उसने इसे पुलिस थाने में प्रस्तुत किया था। तथ्य के इस साक्षी के अतिरिक्त, तथ्य के संबंध में कोई अन्य साक्ष्य जो शिकायतकर्ता के साक्ष्य की पुष्टि कर सके, प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिन दो साक्षियों की परीक्षा की गई थी, वे विवेचक को दिए गए अपने बयान से मुकर गए थे। अन्य साक्षी, जिनकी परीक्षा की गई है, वे औपचारिक प्रकृति के हैं और वे विवेचक और प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक हैं। जिन्होंने औपचारिक रूप से अभियोजन के कागजात सिद्ध किए थे।

32. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यह स्थापित विधि है कि यदि कोई अपराध गंभीर प्रकृति का है तो साक्ष्य उच्च स्तर का होना चाहिए, मात्र डगमगाते और गैर–मानक गुणवत्ता के साक्ष्य अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आश्चर्यजनक रूप से, इस मामले में शिकायतकर्ता वह व्यक्ति है जिसने स्वयं को घटना के प्रथम चरण में घायल होने का दावा किया था और घटना के प्रथम चरण के लिए अभियुक्तों पर लगाए गए आरोप से उन्हें मुक्त कर दिया गया है क्योंकि धारा 307/34 के अंतर्गत आरोप सिद्ध नहीं पाया गया है।

33. दुर्भाग्यवश घटना के द्वितीय चरण में शिकायतकर्ता घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, जैसा कि उसने स्वयं इन तथ्यों को स्वीकार किया है और जिन व्यक्तियों के बारे में दावा किया गया था कि उन्होंने घटना के द्वितीय चरण को देखा था, उन्होंने अभियोजन वाद का समर्थन नहीं किया और कथित घटना के द्वितीय चरण के दौरान मौजूद किसी अन्य साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया, इस प्रकार वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के साक्ष्य के अतिरिक्त, कोई अन्य तथ्यात्मक साक्ष्य शेष नहीं रहता है और जब शिकायतकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने घटना का द्वितीय चरण नहीं देखा था, तो विचारण न्यायालय कैसे यह कल्पना कर सकता है और इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि अपीलार्थी–अभियुक्त ही वास्तविक अपराधी हैं जिन्होंने घटना के द्वितीय चरण में मृतक पर प्रहार किए थे और इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिया गया निष्कर्ष ठोस कारण पर आधारित नहीं है।

34. यह उल्लेख किया जाना भी महत्वपूर्ण है कि असंज्ञेय रिपोर्ट में लात और घूंसे मारने के संबंध में मात्र तीन व्यक्तियों मिही लाल, रमेश और भागीरथ को नामित किया गया था, लेकिन घटना के द्वितीय चरण में चार व्यक्तियों

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

को नामित किया गया था और अपराध करने के लिए अन्य सह–अभियुक्तों के साथ विद्या सागर का नाम जोड़ा गया था और सभी अभियुक्तों की भूमिका यह बताई गई थी कि वे लात–घूंसों और लाठी से प्रहार कर रहे थे और कोई नोच रहा था, जैसा कि शिकायतकर्ता ने अपनी परीक्षा में बताया है कि भागीरथ के हाथ में लाठी थी और रमेश ने हाथ पकड़ा हुआ था और विद्या सागर उकसा रहा था जबकि मिही लाल ने प्रहार किए थे। इसके अलावा, घटना के प्रथम चरण के लिए, उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है और धारा 307/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप के संबंध में की गई टिप्पणी के लिए, जिसमें उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था, राज्य द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है, इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया निष्कर्ष इस अपील में न्यायोचित नहीं है।

35. अभिलेख के परिशीलन से यह भी ज्ञात होता है कि शिकायतकर्ता का साक्ष्य अपने आप में विरोधाभासी है और इसमें विसंगतियां हैं, हालांकि विधि के अनुसार मामूली विरोधाभास और विसंगतियां नगण्य हैं, यदि साक्षी की साक्ष्य का शेष भाग विश्वसनीय पाया जाता है तो मात्र तुच्छ विरोधाभास और विसंगतियों पर, उसके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है जैसा कि **नारायण चेतनराम चौधरी बनाम महाराष्ट्र राज्य**, (2000) 8 एससीसी 457 के वाद में विधि प्रतिपादित की गई है कि:–

> *"मात्र ऐसी चूकें जो महत्वपूर्ण विवरणों में विरोधाभास की सीमा तक हों, साक्षी के साक्ष्य को झूठा सिद्ध करने के लिए उपयोग की जा सकती हैं। पुलिस के बयान में चूक अपने आप में साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बना देगी। जब न्यायालय में साक्षी का कथन उसके पहले के बयानों में कथित महत्वपूर्ण विवरणों से भिन्न होता है, तो अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है अन्यथा नहीं। सच्चे साखियों के बयानों में तुच्छ विरोधाभासों का आना स्वाभाविक है क्योंकि कभी–कभी याददाश्त धोखा दे जाती है और अवलोकन की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। पहले के बयान में चूक यदि मामूली विवरणों से संबंधित पाई जाती है...।"*

36. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि मृतक वास्तव में इतना गंभीर था और उसे घटना के प्रथम और द्वितीय चरण में चोटें आई थीं, तो उसके लिए अपने घर से भागना संभव नहीं था, इसलिए, अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 304/34 के अंतर्गत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय और अकाट्य नहीं हैं और मानक गुणवत्तायुक्त नहीं हैं, इसलिए, अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 304/34 के अंतर्गत आरोप सम्यक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

रूप से सिद्ध नहीं हुआ है और इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण और विधि के विपरीत है।

37. उपरोक्त के दृष्टिगत, उपरोक्त स्थापित विधिक सिद्धांतों के आलोक में इस मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करने में त्रुटि की है और यह अपास्त किये जाने योग्य है।

38. यह आपराधिक अपील **स्वीकार** की जाती है और परिणामस्वरूप, थाना सिधौली, जिला सीतापुर के मुकदमा अपराध संख्या 96/96 से उद्भूत सत्र परीक्षण संख्या 865/97 (राज्य बनाम मिही लाल व अन्य) अंतर्गत धारा 307/304 भारतीय दंड संहिता में अपर सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.01.2005, जिसमें अपीलार्थी–अभियुक्तों को धारा 304/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था और सजा सुनाई गई, एतदद्वारा अपास्त किया जाता है।

39. अपीलार्थी–अभियुक्तों को धारा 304/34 भारतीय दंड संहिता के आरोपों से मुक्त किया जाता है। उनके जमानत पर होने की सूचना है। उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, उनके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और प्रतिभू उन्मोचित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क के प्रावधान का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

40. विचारण न्यायालय का अभिलेख संबंधित न्यायालय को निर्णय और आदेश की प्रति के साथ सूचना के लिए वापस प्रेषित कर दिया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)

19 मार्च, 2026

अरविन्द

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।